न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/73/2020	2020/00098	15–12–2020	04–03–2021

01– महावीर पुत्र पतराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम तरवाला तहसील किशनगढ़–बास जिला अलवर राज0। –अपीलांट

बनाम

01– नायब तहसीलदार किशनगढ़–बास, जिला अलवर। –रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार किशनगढ़–बास दिनांक 05.11.2020 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 60/2020

उपस्थितः–

01–श्री जनार्दन शर्मा –वकील अपीलाण्ट

–ःनिर्णयः–

अपीलांट ने यह अपील नायब तहसीलदार किशनगढ़–बास के आदेश दिनांक 05.11.2020 जिसके द्वारा अपीलांट को ग्राम तरवाला की सरकारी गै0मु0 कब्रिस्तान भूमि के आराजी खसरा नम्बर 588 रकबा 0.10 है0 में से 0.03 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई बेदखली व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम तरवाला की सरकारी गै0मु0 कब्रिस्तान भूमि के आराजी खसरा नम्बर 588 रकबा 0.10 है0 में से 0.03 है0 पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 22.10.2020 को अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने बेदखली व पैनल्टी से दण्डित किया। अपीलांट को पूर्व में बेदखल नहीं किया गया है तथा किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण पीएलपीसी के पास भिजवाई गई थी तथा पीएलपीसी को ही इस प्रकरण में कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार था। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 05.11.2020 अपास्त फरमाया जावें।

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकरन किया एवं बहस पर मनन किया। तहसीलदार रामगढ़ द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 19.01.2021 में विवादित आराजी पर मकानात् बनाकर वर्तमान में अपीलांट का अतिक्रमण होना बताया है। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 10819/2019 जगदीश प्रसाद मीणा वगै0 बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय दि0 30.01.2019 एवं संख्या 9207/2020 सत्यपाल गुर्जर बनाम राज्य सरकार वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2020 की अनुपालना में प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग के पत्र दि0 26.12.2019 के अनुसरण में पीएलपीसी सैल ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक भूमियां एवं सार्व0 स्थलों यथा चारागाह, जोहड़, तालाब, नदी, शमसान, कब्रिस्तान, सार्व0 प्रस्ताव इत्यादि पर अतिक्रमण के संबंध में प्राप्त शिकायतों के समुचित निस्तारण एवं अतिक्रमण के हटाने का प्रभावी कार्य करने हेतु गठन किया गया है। विचाराधीन प्रकरण को माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा दो माह में निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों की पालना में जिला कार्यालय अलवर द्वारा पत्रांक राजस्व/3517 दिनांक 06.10.2020 द्वारा उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़–बास को प्रकरण को दो माह में निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसकी पालना में तहसीलदार किशनगढ़बास द्वारा अपीलांट के विरूद्ध विधिवत् कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 04–03–2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)